

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द  
प्रकरण संख्या 135 / 2025(प्रा0पत्र) शीर्षक ~~मुद्रा~~ बनाम राज्य सरकार

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर/सूचना नं.
24/11/25	<p>प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पेश हुआ। प्रकरण में तहसीलदार, देवगढ़ से रिपोर्ट ली गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा नेनू पत्नि सोहनलाल पिता सोहनलाल व नेनू पत्नि सोहनलाल के स्थान पर हरिराम पिता गिरधारी शुद्ध किये जाने का अनुरोध किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त शुद्धि हेतु सक्षम धारा में घोषणात्मक वाद के जरिये ही शुद्धि करा सकते हैं। अतः प्रकरण धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जाने हेतु उपयुक्त नहीं होने से प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।</p> <p style="text-align: center;">८०</p> <p style="text-align: center;"><b>उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़</b> <b>जि. राजसमन्द (राज.)</b></p>	